

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद ।

विधि सं २५ (1) / 2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
22/3/18	<p>आवेदिका श्रीमती नीलम पंडित पति शिव कुमार पंडित सं० मिथन मोड , जिला धनबाद ने मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 66, प्लॉट नं० 2442/4178 रकवा 02 कट्टा 01 छटाक यानी 3.40 डिसमिल भूमि के दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश दलील सं० 7468 के स्थान 4681 हो गया है जिसे सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से माँग करें। अभिलेख दिनांक 4/4/18 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p>	
4/4/18	<p>अभिलेख उपस्थापित। संवधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 66, प्लॉट नं० 2442/4178 रकवा 02 कट्टा 01 छटाक यानी 3.40 डिसमिल भूमि रैयती खाते की है। जिसका दाखिल खारिज कंश सं० 1317 (1) 2004-05 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 4932 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश एक दलील सं० 7468 के स्थान पर 4681 हो गया है। जिसे सुधार कर 7468 करने हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 66, प्लॉट नं० 2442/4178 रकवा 02 कट्टा 01 छटाक यानी 3.40 डिसमिल भूमि के हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश दलील सं० 7468 के स्थान पर 4681 हो गया है। जिसे दलील सं० 4681 के स्थान पर दलील सं० 7468 समझा जाए।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p>	

